



क्रमांक एफ 20(6) (64) निमअ/बजट/2017-18/ 2339-47 जयपुर, दिनांक 22/11/18  
सहायक निदेशक,  
महिला अधिकारिता,  
उदयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौडगढ़, पाली, अलवर, श्री गंगानगर एवं जालौर।


विषय :- बजट आवंटन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्न बजट मद (स्टेट फण्ड) में निम्न जिलों को निम्नानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

(राशि हजारों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित बजट	मदशीर्ष (राज्य निधि)
1	उदयपुर	2300.00	2235-02-196-(02)-[01]-42 सामान्य, मानदेय व्यय
2	नागौर	1500.00	2235-02-196-(02)-[01]-42 सामान्य, मानदेय व्यय
3	सवाई माधोपुर	1800.00	2235-02-196-(02)-[01]-42 सामान्य, मानदेय व्यय
4	करौली	850.00	2235-02-196-(02)-[05]-42 (SCSP) मानदेय व्यय
		105.00	2235-02-103-(05)-[17]-29 प्रियदर्शनी
5	चित्तौडगढ़	400.00	2235-02-196-(02)-[15]-12 सामान्य
6	पाली	412.00	2235-02-196-(02)-[18]-12 (SCSP)
7	अलवर	.100	2235-02-196-(02)-[06]-12 साथिन GSLI
8	श्रीगंगानगर	10.00	2235-02-196-(02)-[05]-28 (SCSP) साथिन विविध व्यय
9	जालौर	18.700	2235-02-103-(15)-[00]-12 स्वावलम्बन


उपरोक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग वित्त विभाग तथा निदेशालय महिला अधिकारिता से समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप किया जावे।

  
(चौथमल)  
लेखाधिकारी  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर  
जयपुर, दिनांक 22/11/18

क्रमांक एफ 20(6) (64) निमअ/बजट/2017-18/ 2348

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर म.अ. मुख्यालय को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

  
लेखाधिकारी  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर